# BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

## ORIGINAL APPLICATION NO. 438/2019

**IN THE MATTER OF:**

**YOGESH KUMAR & OTHER** ......**APPLICANT(s)**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & OTHERS** .....**RESPONDENT (s)**

## COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD.

In the matter of O.A. No 438/2019 Yogesh kumar & others Vs State of UP & others, the following order have been passed by Hon'ble NGT on dated 03-05-2019.

**"According to the applicant, M/s Supertech Ltd. and M/s Ajnara India Ltd. have encroached upon the plot and are carrying out illegal commercial activity by using concrete mixer plant affecting the air quality of the area.**

**Let a joint Committee comprising the representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Gautam Budh Nagar and CEO, Noida furnish a factual and action taken report in the matter within two months by email at ngt.filing@gmail.com. The nodal agency for coordination and compliance will be the UPPCB".**

Following actions have been taken regarding compliance of Hon'ble NGT's order.

1. As per the order of Hon'ble NGT a team has been constituted comprising of City Magistrate, Noida, Gautambudh Nagar, a representative of Noida Authority and representative of UPPCB. Copy of the said order is enclosed as **Annex.I**
2. The team constituted for this purpose visited the site in question i.e. M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida and M/s Ajnara Grand Heritage Society, Sector-74, Noida on dt 27-06-2019. Photo copy of inspection report is enclosed as **Annex-II**
3. It was found that M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida Gautambudh Nagar has entered into a Rent Agreement with (a) Shree Sundar S/o Shree Bishambhar and (b) Shree Vivek Yadav S/o Shree Samar Yadav Both R/o Village Sarfabad Pargana and Tahsil Dadri Noida Distt. Gautambudh Nagar. M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida handed over this land to its vender M/s B.E. Billimoria & Co Ltd, Plot No. 01/A, Sector-74, Noida for installation of Ready Mix Concrete Plant to construct the building of M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida.

   Like wise M/s Ajnara Grand Heritage society, Sector-74, Noida has established the temporary labour sheds near its site on a separate.
4. Representative of Authority pointed out that both the pieces of the land are acquired land of Noida Authority.
5. Noida Authority vide its letter no. Noida/Sr.Man-w.c.-6/876 dt.28-06-19 directed to M/s Ajnara Grand Heritage society, Sector-74, Noida to vacate the Noida's acquired

Scanned by CamScanner

land within seven days on which labour colony is established. Copy of the letter is attached. **Annex.III**

6. Noida Authority vide its letter no. Noida/Sr.Man-w.c.-6/875 dt 28-06-2019 issued the direction to M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida to vacate the Noida's acquired land within seven days on which RMC Plant is installed. Copy of the letter is attached. **Annex.IV**
7. On the basis of notices issued by Noida Authority, to M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida & M/s Ajnara Grand Heritage Society, Sector-74, Noida, UPPCB has issued notice to M/s B.E. Billimoria & Co Ltd, Plot No. 01/A, Sector-74, Noida that why the consent to operate given to them on 15-02-2018 for the period upto 31-12-2019 should not be revoked as they have provided the wrong information at that time of consent application. The consent to operate was validated by Hon'ble NGT in O.A. No 182/2018 M/s B.E. Billimoria & Co Ltd, Plot No. 01/A, Sector-74, Noida Vs. UP Pollution Control Board and others dated – 09 April 2018.
8. In Compliance of Noida Authorities Notice dated 28-06-2019, M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida Submitted its reply to the Noida Authority with copy to UPPCB that they have ordered their contractor to dismantle the RMC plant immediately. Reply of M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida dated 04-07-2019 and direction to its contractor M/s B.E. Billimoria & Co Ltd, Plot No. 01/A, Sector-74, Noida dated 03-07-2019 enclosed as **Annex. V & VI.**
9. Senior Manager Work circle-6, Noida Authority Noida informed vide letter dated 07-08-2019 (**Annex-VII**) that M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida has removed 80% parts of RMC Plant from the above mentioned land. He also informed that M/s Ajnara Grand Heritage Society, Sector-74, Noida has removed 80% of the labour sheds from the above mentioned land. Rest of the parts of RMC Plant and labour sheds will be removed shortly.

09.8.19

**(Krishna Mohan Srivastava)**
**Asstt. Environment Engineer,**
**UP Pollution Control Board**
**E-12/1, Sector-1, Noida**

9/8/19

**(Dr. Anil Kumar Singh)**
**Regional Officer,**
**UP Pollution Control Board**
**E-12/1, Sector-1, Noida**

Scanned by CamScanner

Annexure:- I

# कार्यालय जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

पत्रांक 292/L-05/2019 दिनांक : 06-06-2019

## कार्यालय ज्ञाप

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0 438/2019 योगेश कुमार अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार अन्य समिति का गठन।

उक्त ओ0ए0 सं0 438/2019 में माननीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 03.05.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया है।

"According to the applicant, M/s Supertech Ltd. and M/s Ajnara India Ltd. have encroached upon the plot and are carrying out illegal commercial activity by using concrete mixer plant affecting the air quality of the area.

Let a joint Committee comprising the representatives of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB), District Magistrate, Gautam Budh Nagar and CEO, Noida furnish a factual and action taken report in the matter within two months by email at 2 ngt.filing@gmail.com. The nodal agency for coordination and compliance will be the UPPCB."

उक्त माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु निम्न समिति गठित की जाती है –

1. सिटी मजिस्ट्रेट, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के प्रतिनिधि।
3. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

समिति को आदेशित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन हेतु स्थल निरीक्षण कर, अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

(बी0एन0 सिंह)
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, नोएडा, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति हेतु समक्ष अधिकारी को नामित करना चाहें।
2. सिटी मजिस्ट्रेट, नोएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–12/1, सेक्टर–6, नोएडा। को इस आशय से प्रेषित कि टीम के सदस्यो से समन्वय स्थापित कर ससमय आख्या प्रस्तुत करें।

Brajesh Narain
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर

Scanned by CamScanner

Annexure :- II

**<u>माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या–438/2019 योगेश कुमार एवं अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2019 के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर द्वारा गठित समिति की निरीक्षण आख्या।</u>**

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर द्वारा गठित समिति द्वारा प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण दिनांक 27.06.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय मै0 बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि0(आर0एम0सी0 प्लान्ट) जी0एच0 01/ए, सेक्टर–74, नोएडा के प्रतिनिधि श्री कमलाकान्त मिश्र सिक्योरिटी सुपरवाइजर तथा प्लान्ट ऑपरेटर श्री देवेन्द्र सिंह उपस्थित थे। निरीक्षण के समय आर0एम0सी0 प्लान्ट बन्द पाया गया। उपस्थित प्लान्ट प्रतिनिधि श्री कमलाकान्त मिश्र सिक्योरिटी सुपरवाइजर तथा प्लान्ट ऑपरेटर श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा बताया गया कि प्लान्ट का संचालन कल किया गया था और आज बन्द है। प्लान्ट संचालन रजिस्टर को देखने से ज्ञात हुआ कि उक्त प्लान्ट दिनांक 06.04.2019 से दिनांक 26.06.2019 तक संचालित किया गया है। उक्त आर0एम0सी0 प्लान्ट के पास में काफी मात्रा में कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट खुले में भण्डारित पाया गया जिसके कारण आस पास के वायु मण्डल में वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी।

अतः मै0 बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि0(आर0एम0सी0 प्लान्ट) जी0एच0 01/ए, सेक्टर–74, नोएडा पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशो के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन न किये जाने के सापेक्ष रू0 50,000.00 (पचास हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने की संस्तुति नगर मजिस्ट्रेट गौतमबुद्ध नगर को प्रेषित की गयी।

मै0 बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि0(आर0एम0सी0 प्लान्ट) जी0एच0 01/ए, सेक्टर–74, नोएडा द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहमति जल तथा वायु आवेदन पत्र के साथ Rent Agreement जमा किया गया था जिसमें उक्त स्थल का स्वामी श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री विशम्भर निवासी ग्राम सरफाबाद परगना व तहसील दादरी, नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर सूचित किया गया है। M/s Supertech Ltd, GH-01, Sector-74, Noida द्वारा श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री विशम्भर निवासी ग्रा0 सरफाबाद के साथ Rent Agreement दिनांक 01.12.2017 से 30.11.2018 तक किया गया। उक्त अवधि समाप्त हो चुकी है। निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि पर श्री सुन्दर लाल का स्वामित्व नही है। उक्त भूमि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि है जिस पर मै0 बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि द्वारा अवैध रूप से आर0एम0सी0 प्लान्ट लगाया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा द्वारा मै0 सुपरटेक लि0, जी.एच.–01, सेक्टर–74, नोएडा तथा मै0 पार्थ प्रतिम साहा बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि0(आर0एम0सी0 प्लान्ट) जी0एच0 01/ए, सेक्टर–74, नोएडा गौतमबुद्ध

Scanned by CamScanner

नगर को नोटिस संख्या 377/एल–85/2019 दिनांक 28.06.2019 को प्रेषित किया गया है जिसमें सूचित किया गया है कि मै0 सुपरटेक लि0 व मै0 बी0ई0 बिलीमोरिया एण्ड कं0लि0 (आर0एम0सी0 प्लान्ट) द्वारा आर0एम0सी0 प्लान्ट के स्थल के सम्बन्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सहमति आवेदन पत्र के साथ स्थल के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनायें दी गयी है अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण 03 दिनों के अन्दर जमा करने के निर्देश दिये गये अन्यथा की स्थिति में उक्त आर0एम0सी0 प्लान्ट को बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी जल तथा वायु सहमति रिवोक कर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

सेक्टर–74 नोएडा में सुपरटेक एवं अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी के मध्य स्थित भूमि पर मै0 अजनारा ग्रैन्ड हेरिटेज सोसायटी की लेबर कालोनी में 25 से 30 झोपडियां भी स्थापित पायी गयी। उक्त भूमि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि है जिस पर मै0 अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी द्वारा लेबर कालोनी अवैध रूप से स्थापित की गयी है। मै0 अजनारा ग्रैन्ड हेरिटेज सोसायटी के प्रतिनिधि श्री विशाल श्रीवास्तव इंजीनियर निरीक्षण के समय उपस्थित थे। उन्होने अवगत कराया कि उक्त लेबर कालोनी शीघ्र ही हटा दी जायेगी। उक्त लेबर कालोनी को हटाने के लिये वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–6, नोएडा अथारिटी, नोएडा द्वारा नोटिस संख्या नोएडा/व0प्र0–व0स0–6/876 दिनांक 28.06.2019 प्रेषित की गयी है। जिसमें मै0 अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी को 07 दिनों के अन्दर उक्त स्थल पर डलवायी गयी झुग्गियों को हटाने के निर्देश दिये गये।

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल–6, नोएडा अथारिटी नोएडा द्वारा मै0 सुपरटेक लि0, बी–28, 29, सेक्टर–58, नोएडा गौतमबुद्ध नगर को इस आशय की नोटिस संख्या नोएडा/व0प्र0–व0स0–6/875 दिनांक 28.06.2019 प्रेषित की गयी है जिसमें उक्त आर0एम0सी0 प्लान्ट को 07 दिनों अन्दर हटाने के निर्देश दिये गये है।

28.6.19
(के0एम0 श्रीवास्तव)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नोएडा

28/6/19
(एम0के0 वैश्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल–6, नोएडा अथारिटी,
नोएडा

28.6.19
(शैलेन्द्र कुमार मिश्र)
नगर मजिस्ट्रेट
गौतमबुद्ध नगर

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा

ई–12/1, सेक्टर–1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : ronoida@uppcb.com, फोन : 0120-4974552

सन्दर्भ संख्या : 360/मा०पभा० -149/2019 दिनांक : 27/6/2019
Mail/By hand

सेवा में,

नगर मजिस्ट्रेट,
सेक्टर–19, नोएडा।

**महत्वपूर्ण/**
**मा0 एनजीटी प्रकरण**

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 618/2016 संजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पारित विभिन्न आदेशों के उल्लंघन के फलस्वरूप अर्थण्ड आरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में नगर मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर, सीनियर मैनेजर (वर्क सर्किल–6), नोएडा अथारिटी, नोएडा तथा इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को निरीक्षण के दौरान **मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0–01ए, सेक्टर–74, नोएडा** द्वारा परिसर में कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण किया पाया गया जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल के छिड़काव की व्यवस्था नही पायी गयी जिससे हवा चलने पर आस–पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता हुआ पाया गया।

उल्लेखनीय है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर समय–समय पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के प्राविधान किये गये हैं।

अतः स्थलीय जांच आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया दौरान **मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0–01ए, सेक्टर–74, नोएडा** के विरुद्ध नियमानुसार रु0 50,000/–(पचास हजार रूपयें) का अर्थदण्ड आरोपित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned by CamScanner

**क्षेत्रीय कार्यालय**
**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा**
**ई–12/1, सेक्टर–1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर**

**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ.ए. संख्या 618/2016 संजय कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा ओ.ए. संख्या 21/2014 वर्द्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में जारी आदेशों के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या –**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | निरीक्षण दिनांक | 27.06.2019 |
| 2. | निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम | शैलेन्द्र मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर, मुकेश वैश्य, सीनियर मैनेजर (वर्क सर्किल–6), नोएडा अथारिटी, नोएडा, के0एम0 श्रीवास्तव सहा0पर्या0अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा |
| 3. | एक्टिविटी/इकाई की प्रकृति | कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण। |
| 4. | स्थल का पूर्ण पता | मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0–01ए, सेक्टर–74, नोएडा द्वारा परिसर में कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण किया पाया गया जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल के छिड़काव की व्यवस्था नही पायी गयी जिससे हवा चलने पर आस–पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता हुआ पाया गया। |
| 5. | उपस्थित प्रतिनिधि का नाम, पदनाम व मो0नं0 | श्री कमलाकान्त मिश्र, सिक्योरिटी सुपरवाइजर |
| 6. | निरीक्षण के समय संचालित एक्टिविटी का विवरण | कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण। **स्थल का फोटोग्राफ संलग्न है।** |
| | 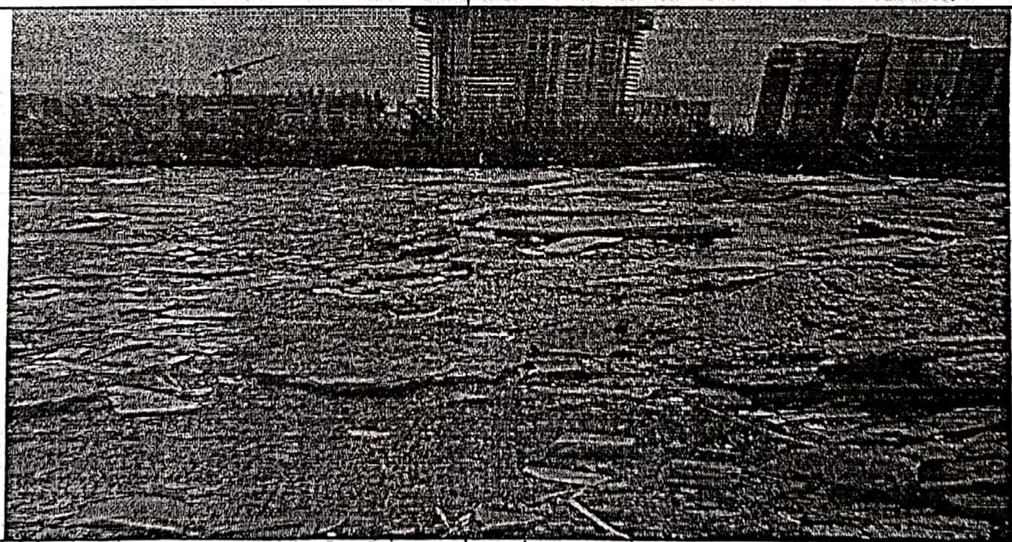 | |
| 7. | निरीक्षण के समय संचालन की स्थिति | उपरोक्तानुसार |
| 8. | (क) पर्यावरण मंत्रालय/विभाग द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (Environment Clearance) की स्थिति<br>(ख) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)/ सहमति (जल/वायु) की स्थिति | –<br>– |

Scanned by CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 9. | निर्माण कार्य के दौरान सम्भावित डस्ट उत्सर्जन को रोकने हेतु प्रभावी व्यवस्था (जैसे–वाटर स्प्रिंक्लर/तिरपाल आदि) पाई गई अथवा नहीं | संभावित डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था नहीं पाई गई तथा कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण किया गया था एवं ग्रीन नेट कवरिंग आदि की व्यवस्था नहीं पाई गई। आस–पास के वातावरण में वायु प्रदूषण की समस्या व्याप्त पायी गयी। |
| 10. | बिना ढके हुएनिर्माण सामग्री /ट्रकों जिनमें निर्माण सामग्री/मलबा, ढुलाई करने वाले वाहन की पंजीकरण संख्या व वाहन चालक का नाम व मो0नं0 | – |
| 11. | घरेलू कूड़ा–कचरा, नगरीय ठोस अपशिष्ट/कृषि अपशिष्ट/गार्बेज बर्निंग स्थल एवं दोषी व्यक्ति/संस्था का विवरण | – |
| 12 | पर्यावरणीय नियमों निर्देशों का पालन न किये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही | पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन न किऐ जाने के सापेक्ष **मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0–01ए, सेक्टर–74,** नोएडा द्वारा परिसर में कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशन वेस्ट का खुले में भण्डारण किया पाया गया जिस पर ग्रीन नेट कवरिंग व जल के छिड़काव की व्यवस्था नही पायी गयी जिससे हवा चलने पर आस–पास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण होता हुआ पाया गया। अतः **मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0–01ए, सेक्टर–74, नोएडा** के विरुद्ध नियमानुसार (रू0 50,000/–) पचास हजार रुपयें का अर्थदण्ड आरोपित किये जाने हेतु जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया जाना उचित होगा। |
| 13. | टिप्पणी | – |

27.6.19

(के0एम0 श्रीवास्तव)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,

*नोट : नोट : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर निम्नलिखित अर्थ दण्ड का प्राविधान किया गया है*

- कंस्ट्रक्शन साइट पर पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थ दण्ड का विवरण।
  1. 100 वर्ग मीटर तक –रु0 10,000/– अर्थ दण्ड।
  2. 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक –रु0 20,000/– अर्थ दण्ड।
  3. 200 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर तक –रु0 30,000/– अर्थ दण्ड।
  4. 500 वर्ग मीटर से 20,000 वर्ग मीटर तक –रु0 50,000/– अर्थ दण्ड।
  5. 20,000 वर्ग मीटर (बिल्टअप एरिया) से अधिक –रु0 5,00,000/– अर्थ दण्ड।

Scanned by CamScanner

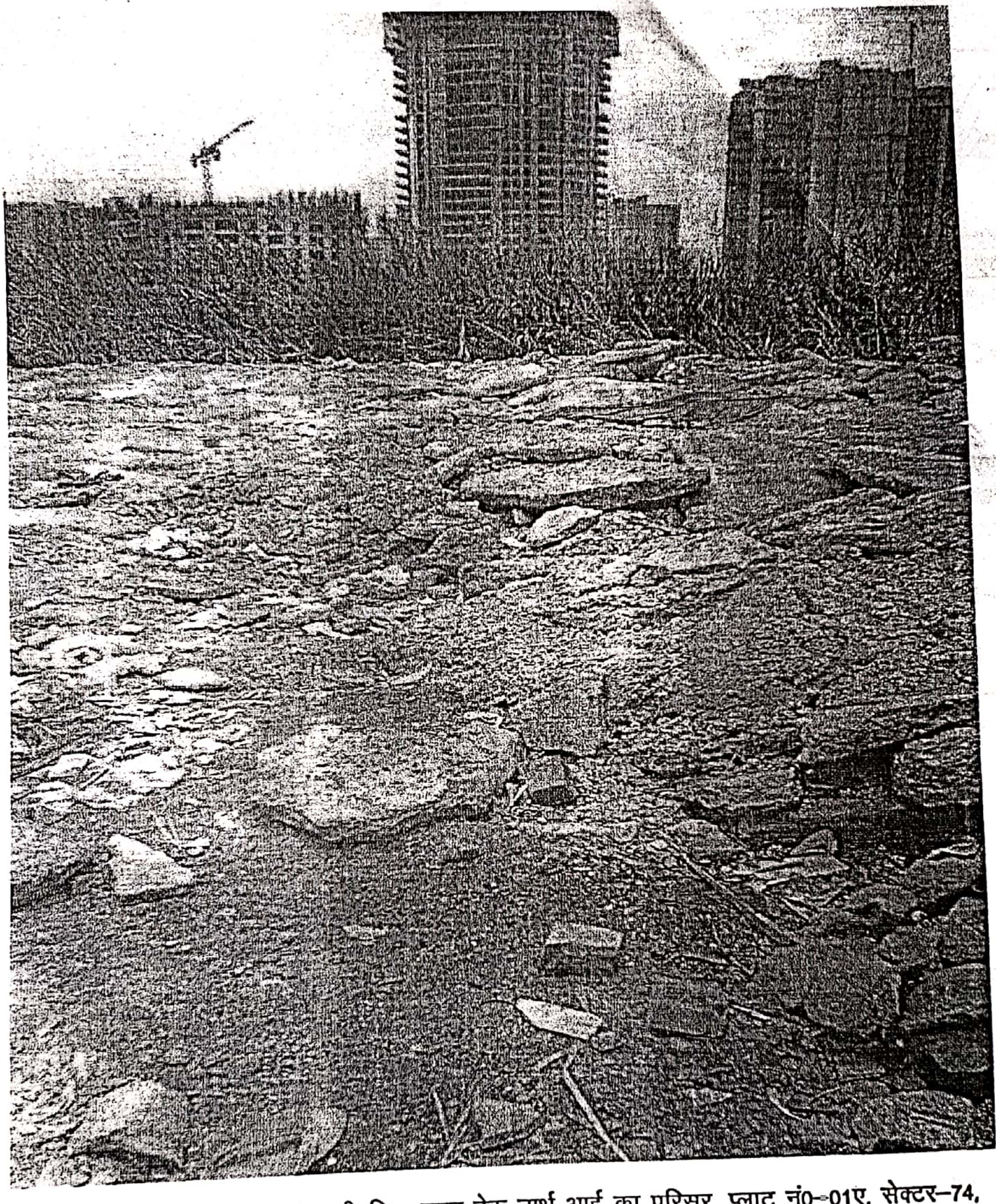

मै0 बी0ई0 बिलीमोरया एण्ड कम्पनी लि0, सुपर टेक नार्थ आई का परिसर, प्लाट नं0-01ए, सेक्टर-74, नोएडा

Scanned by CamScanner

Annexure :- III

Recd
01-7-19

# कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक- वर्क सर्किल-6

द्वितीय तल, जी ब्लाक शॉपिंग कॉमप्लेक्स, सैक्टर-20, नौएडा

पत्र सं0 नौएडा/व0प्र0-व0स0-6/ 876
दिनांक 28/6/19

**मैसर्स अजनारा ग्रेन्ड हैरिटेज सोसाईटी**
सैक्टर-74, नौएडा
गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

विषयः- **सैक्टर-74 में प्राधिकरण की अधिसूचित /अर्जित भूमि में अवैध रूप से डाली गयी झुग्गियों को हटाने के सम्बन्ध में।**

अवगत कराना है कि सैक्टर-74 में सुपरटेक एवं अजनारा ग्रेन्ड हैरिटेज सोसाईटी के मध्य प्राधिकरण की अधिसूचित/अर्जित भूमि में आपके द्वारा अवैध रूप से झुग्गियाँ डाली हुई है, जिसके कारण वहाँ काफी गन्दगी रहती है तथा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गयी है, जिससे सोसाईटी में रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है। झुग्गियों को हटवाने हेतु सोसाईटी निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त् स्थल पर आपके द्वारा डलवायी गयी झुग्गियों को 7 दिन के अन्दर हटवाने का कष्ट करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आपके हर्जे-खर्चे पर झुग्गियों को हटवा दिया जायेगा, जिस पर होने वाले व्यय को आपसे वहन किया जायेगा, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

**(एम0के0 वैश्य)**
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल - 6, नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. महा प्रबन्धक-(के) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी-(ग्रुप हाऊसिंग) को इस आशय से कि मै0 अजनारा ग्रेन्ड हैरिटेज सोसाईटी को प्राधिकरण की अर्जित/अधिसूचित भूमि से झुग्गियों को हटाने हेतु पट्टा प्रलेख की शर्तो के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-12/1, सैक्टर-1, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार-(सोरखा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रबन्धक-(पी)/श्री बद्रीश चन्द्र, अवर अभियन्ता-(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ABR
NGT
6/7/19

28/6/19
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-6, नौएडा

Scanned by CamScanner

Annexure :- IV

# कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक- वर्क सर्किल-6

द्वितीय तल, जी ब्लाक शॉपिंग कॉमप्लेक्स, सैक्टर-20, नौएडा

पत्र सं0 नौएडा/व0प्र0-व0स0-6/ 875
दिनांक 28/6/19

मैसर्स सुपरटेक लि0,
बी-28, 29, सैक्टर-58, नौएडा
गौतम बुद्ध नगर (उ0प्र0)

विषयः- **सैक्टर-74 में प्राधिकरण की अधिसूचित/अर्जित भूमि में आपके द्वारा लगाये गये आर0एम0सी0 प्लान्ट को हटाने के सम्बन्ध में।**

अवगत कराना है कि सैक्टर-74 में सुपरटेक एवं अजनारा ग्रेन्ड हैरिटेज सोसाईटी के मध्य प्राधिकरण की अधिसूचित/अर्जित भूमि में आपके द्वारा अवैध रूप से आर0एम0सी0 प्लान्ट लगाया गया है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण सोसाईटी में रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है । आर0एम0सी0 प्लान्ट को हटवाने हेतु सोसाईटी निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध किया जा रहा है । अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त् आर0एम0सी0 प्लान्ट को 7 दिन के अन्दर हटवाने का कष्ट करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा आपके हर्जे-खर्चे पर आर0एम0सी0 प्लान्ट को हटवा दिया जायेगा, जिस पर होने वाले व्यय को आपसे वहन किया जायेगा, जिस हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

**(एम0के0 वैश्य)**
वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल - 6, नौएडा

प्रतिलिपिः-

1. महा प्रबन्धक-(के) महोदय को सादर सूचनार्थ ।
2. विशेष कार्याधिकारी-(ग्रुप हाऊसिंग) को इस आशय से कि मै0 सुपरटेक लि0 को प्राधिकरण की अर्जित/अधिसूचित भूमि से आर0एम0सी0 प्लान्ट को हटाने हेतु पट्टा प्रलेख की शर्तो के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई-12/1, सैक्टर-1, नौएडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार-(सोरखा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. प्रबन्धक-(पी)/श्री बद्रीश चन्द्र, अवर अभियन्ता-(संविदा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल-6, नौएडा

Scanned by CamScanner

Annexure :- V

supertech
Yours for Life

05/7/2019

04.07.2019

To,
Senior Manager,
NOIDA Authority,
Work Circle 6, Second Floor,
G Block, Shopping Complex,
Sector 20, Noida

**Subject:** Regarding Dismantling of RMC plant installed at Sector-74 Noida.

**Reference:** Your letter No NOIDA/S.M.-W.C.-6/875 dated 28.06.2019

Sir,
This is in reference to your office letter dated 28.06.2019 regarding dismantling of installed RMC plant at Sector-74 Noida. We state, in reply to the said Letter as, under:

1. That, our RMC plant is not being operated as on date as the construction work has been restrained by the officials of the UP Pollution control Board and City Magistrate, Gautambudh Nagar at the project site on 21.02.2019. As our RMC Plant is not working since 21.02.2019, there is no possibility of pollution being caused in the area/society due to RMC Plant.
2. That, in compliance of the said direction by your office letter, direction has been issued to the contractor for dismantling the plant on immediate basis **(Copy Enclosed)**.Process of dismantling has started.

However, we would like to request your kind self to grant us 30 days time for completely dismantling the RMC plant from the said land as physically & technically it is going to consume this much time.

This is for your kind submission please.

Yours Sincerely
For M/s Supertech Limited

(Authorised Signatory)
Encl: As above
Cc: 1. OSD(GHP),NOIDA
2. Regional Officer, UPPCB, Gautambudh Nagar
3. Tehsildar (Sorkha), NOIDA, Sector-6

AEE
5/7/19.



Scanned by CamScanner

Annexure:- VI

supertech
Yours for Life

Ref No: STC/GI/EC/201907/595
To,
Dr. Anil Kumar Singh,
Regional Officer,
UP pollution Control Board, Noida
E-12/1 Sector -1, Noida,
Gautambuddh Nagar, U.P.

03rd July 2019

**Subject: Reply to your Letter Reference No. 377/L-85/2019 dated 28.06.2019**

Sir,

In reference to your Letter Ref. No. 377/L-85/2019 dated 28.06.2019, we state, in reply to the said Letter as under:

1. That on 15.02.2018, UP Pollution Control Board has issued Consent Order vide reference No. 13360/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTO/Water/NOIDA/2018 under section 25/26 of the Water (Prevention and Control of the Pollution)Act 1974 for discharge of effluent and the same is valid till 31.12.2019.

AEE

2. That on 15.02.2018, UP pollution Control Board has also issued Consent Order vide reference No.13345/UPPCB/Noida(UPPCBRO)/CTO/air/NOIDA/2018 under section 21/22 of the Air (Prevention and Control of the Pollution)Act 1981 for emissions of air pollutant and the same is valid till 31.12.2019.

3. That vide order dated 09.04.2018, Hon'ble National Green Tribunal has also granted approval in OA No. 182/2018 in respect of the abovesaid. Both the consent orders passed by UP pollution Control Board. Copy of the order dated 09.04.2018 is annexed herewith as **ANNEXURE-A**

4. That It is submitted that we have deposited a Rent Agreement alongwith our application for getting consent order. The said Agreement was executed between the owner of the land Sh. Sunder S/o Sh. Bishambhar and M/s Supertech Limited and the agreement was done for the period of 01.12.2017 to 30.11.2018. It is further submitted that after expiry of the said period we have executed a fresh Rent Agreement with Sh. Sunder S/o Sh. Bishambher on 01.12.2018 for the period of



Scanned by CamScanner

01.12.2018 to 30.11.2019. Copy of the Rent Agreement dated 01.12.2018 is attached herewith as **ANNEXURE-B.**

5. That it is the further submitted that M/s Supertech Limited has taken the said land from Mr. Sunder Lal as per the land record presented by him which proves the ownership of Mr. Sunder Lal. The was taken on rent for the purpose of installment of RMC Plant. Thereafter Rent Agreements dated 1.12.2017 and 01.12.2018 were duly signed by both the parties and we have installed our RMC plant in the land provided by Sh. Sunder which is totally legal in all respects. It is further submitted that after getting all the approvals from UP Pollution Control Board, we have started our RMC plant as per norms with all environment protection measures to control Air and Water Pollutions.

6. That it is further submitted that our RMC plant is not operating as on date as the construction work has been restrained by the officials of the UP Pollution control Board and City Magistrate, Gautambudh Nagar at the project site on 21.02.2019 and it has not being operational again till now. As our RMC Plant is not working since 21.02.2019, there is no possibility of pollution in the area/society by RMC Plant.

7. Further it is submitted that we did not provided any wrong information to your good office in respect of the area of the RMC Plant.

8. That it is pertinent to mention that The office of Senior Manager, Work Circle-6 vide its letter dated 28.06.2019 has directed us to dismantle the RMC plant from the land of the Authority. Hence in Compliance of the said direction we are in process to dismantle the RMC Plant.

This is for your kind submission please.

Yours Sincerely
For M/s Supertech Limited

(Authorised Signatory)

Cc: 1. District Magistrate, Gautam Budh Nagar.
2. CEO (Circle-1), Uttar Pradesh Pollution Control Board,Lucknow.
3. City Magistrate, Gautam Budh Nagar
4. Senior Manager, Work Circle-6, Noida

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
ई–12/1, सेक्टर–1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : ronoida@uppcb.com, फोन : 0120.4974552

संदर्भ संख्या : 426/L-85/2019 दिनांक : 09/07/2019

सेवा में

वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–6,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, जी ब्लाक शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेक्टर–20
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

**विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 438/2019 योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.20019 के अनुपालन हेतु मेसर्स सुपरटेक लि0 बी–28, 29 सेक्टर–58ए नोएडा तथा मेसर्स अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी, सेक्टर–74, नोएडा को आप द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या नोएडा/व0प्र0–व0स0–6/875 दिनांक 28.06.2019 तथा नोएडा व0प्र0–व0स0–6/876 दिनांक 28.06.2019 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा आप द्वारा क्रमशः मेसर्स सुपरटेक लि0 बी–28, 29 सेक्टर–58ए नोएडा को नोएडा अथारिटी द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि पर से आर0एम0सी0 प्लान्ट को हटाने तथा मेसर्स अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी, सेक्टर–74, नोएडा को नोएडा अथारिटी द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि पर से झुग्गियों को हटाने के निर्देश दिये गये थे उक्त निर्देशो की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें। जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को उपरोक्त विषयक के संदर्भ में दिये गये आदेश के परिपेक्ष्य में अनुपालन आख्या प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नगर मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

9/7/19
क्षेत्रीय अधिकारी

e:\up pcb letter\up pcb latter pad.docA.K

Scanned by CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा
ई–12/1, सेक्टर–1 नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : ronoida@uppcb.com, फोन : 0120.4974552

संदर्भ संख्या : 507/L-85/2019

दिनांक : 25/7/2019

अनुस्मारक Mail / By hand

सेवा में

वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल–6,
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वितीय तल, जी ब्लाक शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सेक्टर–20
नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

**विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या 438/2019 योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.20019 के अनुपालन हेतु मेसर्स सुपरटेक लि0 बी–28, 29 सेक्टर–58ए नोएडा तथा मेसर्स अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी, सेक्टर–74, नोएडा को आप द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या 426/एल.–85/2019 दिनांक 09.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करे। जिसके द्वारा आप से अनुरोध किया गया था कि नोएडा अथारिटी द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि पर से मै0 सुपरटेक लि0 बी–28, 29 सेक्टर–58ए नोएडा के आर0एम0सी0 प्लान्ट तथा मेसर्स अजनारा ग्रैण्ड हेरिटेज सोसायटी, सेक्टर–74, नोएडा की लेबर कालोनी की झुग्गियों को हटाने की अनुपालन आख्या शीघ्र प्रेषित करें परन्तु आप द्वारा पर्याप्त समयोपरान्त भी उक्त आर0एम0सी0 प्लान्ट तथा झुग्गियों को नोएडा अथारिटी द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि पर से हटाने की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

अतः आप से पुनः अनुरोध है कि नोएडा अथारिटी द्वारा अधिसूचित/अर्जित भूमि पर से उपरोक्त वर्णित आर0एम0सी0 प्लान्ट तथा लेबर कालोनी की झुग्गियों को हटाने की कार्यवाही शीघ्र कराये तथा अनुपालन आख्या शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करे जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को निर्धारित समय के अन्दर Action Taken Report(ATR) प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

(डा0 अनिल कुमार सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।**

1. जिलाधिकारी महोदय, गौतमबुद्ध नगर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–1), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. नगर मजिस्ट्रेट, सेक्टर-19 गौतमबुद्ध नगर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

e:\up pcb letter\up pcb latter pad.doc.alankrat

Scanned by CamScanner

Annexure-7
VII

# कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक-वर्क सर्किल-6

द्वितीय तल, श्री ब्लाक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-20 नौएडा

पत्र सं0 नौएडा/व0प्र0,व0स0-6/103
दिनांक 07/8/19

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-12/1 सेक्टर-1 नौएडा
गौतमबुद्ध नगर

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-438/2019 योगेश कुमार एवं अन्य बनाम एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2019के अनुपालन हेतु मै0 सुपरटेक लि0 बी-28, 29, सैक्टर-58ए, नौएडा तथा मै0 अजनारा ग्रैण्ड हैरिटेज सोसायटी, सैक्टर-74, नौएडा को आप द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक पत्रांक 507/एल-85/2019, दिनांक 25.07 2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि सैक्टर-74 में सुपरटेक व अजनारा ग्रैण्ड हैरिटेज सोसाईटी के मध्य नौएडा प्राधिकरण की खाली पड़ी भूमि में मै0 सुपरटेक द्वारा आर0एम0सी0 प्लान्ट व मै0 अजनारा द्वारा लेबर की झुग्गियाँ बनायी गयी थी, जिसको हटाने हेतु खण्ड के पत्रांक नौएडा/व0प्र0-व0स0-6/875, दिनाक 28.06.2019 एव पत्रांक नौएडा/व0प्र0-व0स0-6/876, दिनाक 28.06.2019 के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में सुपरटेक एवं अजनारा द्वारा प्लान्ट एव झुग्गियाँ लगभग 80% हटा लिया है एव लगातार हटाया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि दो-तीन दिन के अन्दर उपरोक्त वर्णित जगह को पूर्णतयः खाली कर दिया जायेगा।

(मुकेश कुमार वैश्य)
वरिष्ठ प्रबन्धक,
वर्क सर्किल - 6, नौएडा

प्रतिलिपि:-
1. महाप्रबन्धक (के)/(आर) महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक (सी), श्री बद्रीश चन्द्र, अवर अभियन्ता-(संविदा) को उनकी आख्या के सम्बन्ध में।

वरिष्ठ प्रबन्धक
वर्क सर्किल - 6, नौएडा

Scanned by CamScanner